श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में दिनांक 02.11.2017 को अपराह्न 01.00 बजे से आयोजित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2018 एवं राष्ट्रीय आय–सह–मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2018 के अवसर पर शांति एवं विधि–व्यवस्था बनाये रखने से संबंधित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : यथा बैठक

सर्वप्रथम जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया–सह–जिला परीक्षा नियंत्रक के प्रतिनिधि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, खगड़िया के द्वारा बताया गया कि दिनांक 05.11.2017 (रविवार) को पूर्वाह्न 10:00 बजे से 01:00 बजे अपराह्न तक एवं दिव्यांग के लिए अपराह्न 02:00 बजे तक राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2018 एवं राष्ट्रीय आय–सह–मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2018 का आयोजन किया जायेगा जिसके लिए क्रमशः एस0आर0हाई स्कूल, खगड़िया एवं जे0एन0के0टी0 इन्टर स्कूल, खगड़िया को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। प्रतिभा खोज परीक्षा में 175 एवं आय–सह–मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में 978 परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं।

केन्द्राधीक्षकों द्वारा बताया गया कि जिला परीक्षा नियंत्रक मुख्य परीक्षा नियंत्रक की सहमति से वीक्षकों की नियुक्ति Randomisation के माध्यम से की जानी है। जिलाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रतिनिधि को निदेश दिया गया कि वे आज ही Randomisation के माध्यम से वीक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया)

सभी केन्द्राधीक्षक, गश्ती दल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि परीक्षा स्वच्छ, कदाचारमुक्त एवं शांति पूर्ण ढंग से कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : सभी केन्द्राधीक्षक / गश्तीदल दंडाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी)

जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि परीक्षा केन्द्रों पर स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन हेतु प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1295 दिनांक 18.10.2017 एवं जिला संयुक्त आदेश ज्ञापांक 2446 / गो0 दिनांक 01.11.2017 से निर्गत् किया गया है जिसमें विस्तृत आदेश दिये गये हैं। केन्द्राधीक्षकों, प्रतिनियुक्त गश्तीदल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के विस्तृत जानकारी देते हुए उन्हें निदेश दिया गया कि उक्त पत्र में दिये गये आदेश का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : सभी केन्द्राधीक्षक / गश्तीदल दंडाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी)

केन्द्राधीक्षकों को निदेशित किया गया कि वीक्षकों को परीक्षा हॉल में वीक्षण कार्य हेतु प्रतिनियुक्त गश्तीदल दंडाधिकारी की सहमति के आधार पर करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : सभी केन्द्राधीक्षक / गश्ती दल दंडाधिकारी)

केन्द्राधीक्षकों,गश्तीदल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि परीक्षा केन्द्र के प्रवेश द्वार पर ही परीक्षार्थियों की चेंकिंग / फिस्किंग करना सुनिश्चित करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे परीक्षार्थियों के पास मोबाईल, इलेक्ट्रानिक उपकरण, केलकुलेटर, चिट–पुर्जा, गैस पेपर, गाईड एवं पुस्तक इत्यादि परीक्षा केन्द्र के अन्दर ले जाने पाये एवं उनके पास यदि ऐसा कोई सामग्री / उपकरण पाया जाता है तो संबंधित परीक्षार्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन : सभी केन्द्राधीक्षक दंडाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी)

बैठक में दोनों परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा की वीडियोग्राफी कराने का निर्णय लिया गया। विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, खगड़िया जिला नजारत शाखा के माध्यम से परीक्षा केन्द्रों पर वीडियोग्राफी करवाना सुनिश्चित करायेंगे।

(अनुपालन : विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, खगड़िया)

सभी केन्द्राधीक्षकों, गश्ती दल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि स्वच्छ, कदाचारमुक्त एवं शांति पूर्ण परीक्षा संचालन की उनकी जिम्मेवारी होगी।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/—
जिलाधिकारी
खगड़िया।

ज्ञापांक 2471 / गो0, दिनांक 02-11-17

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया / उप विकास आयुक्त, खगड़िया / अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया / सभी स्टैटिक–सह–गश्तीदल दण्डाधिकारी / सभी केन्द्राधीक्षक / जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
खगड़िया।